अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110029

सं.:वि.प्र./01/आईटी-परियोजनाएं   दिनांक:

विषय: एम्स, नई दिल्ली हेतु वित्त वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म-16 संबंधी।

सभी संबंधित स्टाफ-सदस्यों को अवगत कराया जाता है कि एम्स, नई दिल्ली के कर्मचारियों से संबंधित फॉर्म-16 को एसएएचएएस (साहस) पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है तथा प्रयोक्ता साहस पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद इनकम टैक्स -> आईटी एसेसमेंट -> वित्त वर्ष 2023-24 लिंक खोलकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यह एम्स इंट्रानेट साइट पर भी उपलब्ध हैं।

यद्यपि, फॉर्म 16 के भाग 'क' तथा भाग 'ख' में राशि में असमानता होने संबंधी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है प्रत्येक मामले के आधार पर उनका समाधान किया जा रहा है तथा आईटी पोर्टल पर आंकड़ों को अद्यतन किया जा रहा है। इस प्रकार के सभी मामलों के लिए संशोधित फॉर्म 16 को साहस पोर्टल पर भी अद्यतन किया जाएगा। इस प्रकार की सभी विसंगतियों के लिए **दिनांक 12.07.23 के परिपत्र संख्या एम्स/एफडी/आईटी/23-24/सीडीएससी (प्रतिलिपि संलग्न)** द्वारा जारी स्पष्टीकरण का संदर्भ भी लिया जा सकता है। उन मामलों में जहां भाग 'क' की राशि को अभी भी भाग 'ख' की राशि से अधिक दर्शाया गया है, उन्हें आवश्यक संशोधन हेतु तत्काल सूचित किया जाए।

जेआर/एसआर के मामलों में, तिमाही 1 (मार्च से जून तक) हेतु भाग 'क' का विवरण आईटी पोर्टल पर संबंधित व्यक्ति के 26एएस पर दर्शाया जाएगा। किसी भी विसंगति की स्थिति में तत्काल सूचित करें।

जहां तक वास्तविक आहरित वेतन एवं आईटी पोर्टल के एआईएस में दर्शाई गई राशि में असमानता का संबंध है, यह उन मामलों से संबंधित है जहां अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र (एलपीसी) जारी किया जा चुका है। यह सिस्टम में कुछ तकनीकी खराबी के कारण हुआ है और इसे देय समय अवधि में ठीक कर दिया जाएगा। फॉर्म-16 के अनुसार आईटीआर दाखिल की जा सकती है।

दिनांक 06.09.23 के परिपत्र संख्या वित्त प्रभाग/रोकड़/2023-24 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ भी लिया जाए, जिसके द्वारा वेतन पर्ची में दर्शाए गए पैन नंबर की विशुद्धता की जांच करने तथा उसमें किसी भी विसंगति की सूचना संबंधित लेखा अधिकारी को प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। यह पुनः अनुरोध किया जाता है कि प्रयोक्ता वेतन पर्ची में

दर्शाए गए पैन नंबर की विशुद्धता को फिर से सत्यापित कर लें तथा आयकर विभाग के आदेशानुसार इसे आगामी वित्त वर्ष हेतु आधार संख्या के साथ भी लिंक कर लें ताकि बाद के चरणों में आने वाली समस्याओं से बचा जा सके।

इसे वरिष्ठ वित्त सलाहकार (एम्स) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

वित्त सलाहकार
एम्स, नई दिल्ली

सेवा में,
प्रभारी-आचार्य (कंप्यूटर सुविधा)- इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

प्रतिलिपि:

1. सभी केन्द्रों के प्रमुखगण/विभागाध्यक्षगण/चिकित्सा अधीक्षक
2. संकायाध्यक्ष (अनुसंधान)/ संकायाध्यक्ष (शैक्षिक)/ संकायाध्यक्ष (परीक्षा)/कुल-सचिव
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ सभी प्रशासनिक अधिकारीगण
4. सभी वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारीगण/वित्त प्रभाग के लेखा अधिकारीगण, मुख्य एवं केंद्र
5. निदेशक के निजी सचिव/अपर निदेशक (प्रशासन) के निजी सचिव